पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय)

शिलांग, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 94.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग अवर श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिकालय, शिलांग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धित को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोचर परिषद सविकालय, किलांग, वर्ग 'ग' और अवर श्रेणी लिपिक वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान,—पदों को संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिग्ट के अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पर्दे को भर्ते प्रणाली... आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बाते पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. निरर्हता.—जिसने,—

- (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या
- (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

			अनुसूची		han in the same of the ball
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	22* (2013) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान ₹5200 20200 + ग्रेड वेतन ₹1900	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच की आयु (शिथिलनीय उन सरकारी कर्मचारियों के मामलें में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार ।) टिप्पणी : आयु-सीमा तय करने की तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा । (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं है, आयु-सीमा तय करने की निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख ही होगी ।)
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक		क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों		परिवीक्षा की अवधि, यदि	
एवं अन्य अर्हताएं		के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी		कोई हो	
	(7)		(8)	(9)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।			आयु के लिए: शैक्षिक योग्यत		सीधी भर्ती द्वारा किए गये उम्मीदवारों के लिए दो

520 PART II-SEC. 3(i)] (7) (8) (2) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण 'हां' स्तंभ 10 में दी गई वर्ष । गति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । उपदर्शित सीमा तक । (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट के तत्समान प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन की औसत पर 10500केडीपी/9000केडीपीएच।) भर्ती प्रणाली: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन यदि भर्ती प्रोन्तित या प्रतिनिवृक्ति या आमेलन द्वारा की द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत । जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (10)(11)(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से (i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं है, वहां 'कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से' नहीं है, वहां 'कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से' शब्द हटा दिया जाए।) शब्द हटा दिया जाए।) (ii) रिक्तियों का 15 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रुपये (ii) रिक्तियों का 15 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रुपये में समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता में समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12 कक्षा परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12 कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता रखते हैं और ग्रेड उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता रखते हैं और ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। परीक्षा के लिए में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं । परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। पात्रता हेत् अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है । (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष की आयु) (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष की आयु) टिप्पणी : यदि क्लॉज (ii) के अंतर्गत उपलब्ध िप्पणी : यदि क्लॉज (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में कर्मचारी परीक्षा में रिक्तियों से अधिक संख्या में कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कर्मचारियों की ऐसी अधिशेष संख्या उत्तीर्ण होते हैं, कर्मचारियों की ऐसी अधिशेष संख्या बाद के वर्षों में आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए बाद के वर्षों में आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार की जायेगी ताकि पहले ही परीक्षा में उत्ती / विचार की जायेगी ताकि पहले ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्ष ें उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (ii) रिक्तियों का 5 % उन समूह 'ग' कर्मचारियों से (ii) रिक्तियों का 5% उन समूह 'ग' कर्मचारियों से वरिष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने वरिष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रु के ग्रेड वेतन वाले पदों पर 3 वर्षों की नियमित 1800 रु को ग्रेड वेतन वाले पदों पर 3 वर्षों की नियमित सेवा की है। सेवा की है। जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा यदि कोई विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)लागू नहीं।

समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निप्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :

 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग

[भाग II—खण्ड 3(i)]

 नियंत्रक, लेखा, क्षेत्रीय आय और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, शिलांग

(12)

3. अवर सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्र

विकास मंत्रालय,

—सदस्य

सदस्य

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/20/2010] डेविड लालमालसावमा, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT)

Shillong, the 17th April, 2013

- GS.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, North Eastern Council Secretariat, Shillong, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- Short title and commencement .—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' Post) Recruitment Rule, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.— The number of the post, its classification, pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification .- No person,-

ने

त

П

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Savings. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCI	E BERT	EVET	1 27

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	22* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial	Pay Band-1: Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)	(8)		
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.	Regarding age: 'No' Regarding educational qualifications: 'Yes' to the extent indicated in Col. 10	Two years for direct recruits	
(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).			

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (The words "through Staff Selection Commission" may be deleted, where recruitment is not through Staff (i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (The words "through Staff Selection Commission" may be deleted where recruitment is not through Staff

Ministry of Home Affairs and Development of North Eastern

Ministry of Development

of North Eastern Region.

Region, Shillong

3. Under Secretary,

(11)(10)Selection Commission). Selection Commission). (ii) 15% of the vacancies shall be filled from (ii) 15% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C', Staff in the grade amongst the Group 'C', Staff in the grade pay of Rs.1800 and who possess 12th Class pay of Rs.1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have pass or equivalent qualification and have rendered 3 years' regular service in the grade, rendered 3 years' regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Castes/ the years of age for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes). the Scheduled Tribes). Note: - If more of such employees then the Note: - If more of such employees then the number of vacancies available under clause number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsefilling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifyquent years so that the employees qualifying ing at an earlier examination are considered at an earlier examination considered before those who qualify at a later before those who qualify at a later examination. examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from group 'C' seniority-cum-fitness basis from group 'C' employees who have already rendered employees who have already rendered 3 years' of regular service in posts in 3 years' of regular service in posts in pay band-1 with grade pay of Rs. 1800. pay band-I with grade pay of Rs. 1800. Circumstances in which Union Public Service If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)Group 'C' Departmental Promotion Committee :-Not applicable. (for considering promotion/confirmation) consisting of: Director or Deputy Secretary (Administration) North Eastern Council Secretariat, Shillong **Chairman** 2. Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office,

-Member

-Member

[F. No. NEC/ADM/20/2010] DAVID LALMALSAWMA, Director (Admn.)

शिलांग, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 95.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग उच्च श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा ।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 4. निरर्हता.-जिसने,-
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संध लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनु सूची						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा गैर-प्रवरण	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	
				पद		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
उच्च श्रेणी लिपिक	17* (2013) *कार्यभार के	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग',	वेतन बैंड-1, वेतनमान ₹ 5200-	गैर प्रवरण —	लागू नहीं	
	आधार पर पदों की	अराजपत्रित,	20200			
	संख्या में अन्तर	अनुसचिवीय	+ ग्रेड वेतन			
	आ सकता है ।		₹ 2400			

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने		यदि भर्ती प्रोन्तित या प्रतिनियुक्ति य आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्तित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)		(11)

प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्ति :

वेतन ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्षों की सेवा कर चुके अवर श्रेणी लिपिक में से।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जोभी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उकत वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी -

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा
 - (ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक वेतन बैंड-1, वेतन ग्रेड 1900 रु. में आठ वर्ष नियमित सा समतुल्य सेवा की हो ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की

(11)

अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए । जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और यह फायदा केवल उस पद में या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिये वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।		जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)		(13)		
वर्ग ''ग'' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने के लिए) में निम्निलखित अधिकारी शामिल होंगे :		लागू नहीं ।		
 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग 	अध्यक्ष			
 नियंत्रक, लेखा, क्षेत्रीय आय और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, 				
शिलांग	—सदस्य			
3. उप सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्र				
विकास मंत्रालय,	—सदस्य			

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/20/2010(पार्ट)] डेविड लालमालसावमा, निदेशक (प्रशासन)

Shillong, the 17th April, 2013

- GS.R. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, North Eastern Council Secretariat, Shillong, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:-
- Short title and commencement (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group'C' Post) Recruitment Rule, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

न र्ने

₹

ते त

य

Б (Т

Ħ

Π

- 2. Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay The number of the post, its classification, pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Savings Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, and other backward classes, ex -servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	17* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted Ministerial	Pay Band-1: Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Ps. 2400	Not selection	Not applicable
Educational qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		or if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable			Not applicable Not applicab		Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

By promotion failing which by deputation

(11)

Promotion:

Lower Division Clerk with eight years of regular service in the grade, in pay band-1 plus grade pay of Rs. 1900.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government:-

- holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with eight years of regular service in the grade of Lower Division Clerk in pay band-1 with grade pay of Rs. 1900 or equivalent.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including the period of deputation or in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of

(11)

the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee:— (for considering promotion) consisting of:

Director or Deputy Secretary (Administration)
 North Eastern Council Secretariat

Shillong

n

m

d, in le

of

ar

in

in

00

ler

of

or

on he

for

by

he x-

ng ne

of

-Chairman

2. Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office, Ministry of Home Affairs and Development of North Eastern Region, Shillong

—Member

 Under Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region.

-Member

Not applicable.

[F. No. NEC/ADM/20/2010 (Pt.)]
DAVID LALMALSAWMA, Director (Admn.)

शिलांग, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 96.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिव्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय, शिलांग विश्व पुस्तकालय परिचर, रोनियों आपरेटर, दफ्तरी, बेयरा-रसोइया (Cook), क्लीनर, चपरासी, चौकीदार, माली, सफाईकर्मी, फील्डमैन, हेल्पर उच्च श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 का अधिक्रांत करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धित को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 4. निरर्हता,-जिसने :-
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरूष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या
 - (ख) पति/पली के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुजेय है, इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. व्याकृति.—इन नियमों से केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

			अनुसूची		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरणं पद अथवा गैर- प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारिष्	46* (2013) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200— 20200 + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागृ नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्म- चारियों के लिए शिथिलनीय।) टिप्पणी 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अध्यर्धियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।(न कि वह तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

	AND SAME	(6)
		मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्ब जिले, पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
		टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की शा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम होगी जहां तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने व व्यक्तियों के लिए निर्धारित एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति मामले में लागू होंगी	त आयु
(7)	(8)	(9)
मैट्निकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष
भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	यदि भर्ती प्रोन्नित या प्रतिनिन् प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या	युक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे आमेलन किया जाएगा
(10)		(11)
100% सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं
यदि कोई विभागीय प्रोन्नित है, तो उसकी संरचना क्या है		जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्तित समिति (प्रोन्ति/स्थायीकरण करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग		लागू नहीं ।
 नियंत्रक लेखा, क्षेत्रीय आय और लेखा कार्यालय गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, शिलांग 	—सदस्य	
3. उप सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	—सदस्य	Francis and and and an analysis

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/20/2010] डेविड लालमालसावमा, निदेशक(प्रशासन)

Shillong, the 17th April, 2013

- G.S.R. 96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat Group 'D' Staff Service Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the posts of Senior Library Attendant, Roneo Operator, Daftry, Bearer-cum-Cook, Cleaner, Peon, Chowkidar, Mali, Sweeper, Fieldman, Helper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' Post) Recruitment Rule, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.—The number of the post, its classification and pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.-No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the ScheduledTribes, and other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-tasking Staff	46* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except the date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladkah Division of

		(6)
	an di H ar	mmu and Kashmir State, Lahui d Spiti District and Pangi Sub- vision of Chamba District of imachal Pradesh, Andaman d Nicobar Islands of akshadweep).
one male in door on the second of the second	m Ex de th	ote 2: In case of recruitment ade through the Emplyment schange, the crucial date for termining the age limit shall be a last date upto which the imployment Exchange is asked submit the names.
qualifications pro direct recruits wil	escribed for lapply in the	Period of probation, if any
(8)		(9)
Not applicab	le	Two years
	(11)	
	Not applica	ble
Co	ommission is	n which Union Public Service to be consulted in making
	Total Control	(13)
	Not a	pplicable.
—Member		[F. No. NEC/ADM/20/2010]
	qualifications produce direct recruits will case of promotee (8) Not applicabe In case of recruitmer grades from which p made	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8) Not applicable In case of recruitifient by promotion grades from which promotion or comade (11) Not applicates Circumstances is Commission is recruitment Not applicates Not applicates Chairman —Member

DAVID LALMALSAWMA, Director (Admn.)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (उत्तर पूर्वी परिषद् सिंघवालय, शिलांग)

शुद्धि-पत्र

शिलांग, 10 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 40.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भर्ती नियम सं. सा.का.नि. 94 दिनांक 17 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ग' पद्) भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर :

- अनुसूची की कॉलम 6
 25 वर्ष
 ऐसा पढ़ा जाए
 27 वर्ष
- अनुसूची की कॉलम 10(ii) और 11(ii)
 25%
 ऐसा पढ़ा जाए
 10%
- अनुसूची की कॉलम 10(iii) और !!(iii) वर्ग 'ग' ऐसा पढ़ा जाए वर्ग 'ग'

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/25/2013]

डॉ. एस. चौधरी, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT, SHILLONG)

CORRIGENDUM

Shillong, the 10th February, 2014

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, published in Notification No. G.S.R. 94 dated 17th April, 2013.

For the following words:

in column 6 of the Schedule

25 years

Read as

27 years

2: in column 10(ii) and 11(ii) of the Schedule

15%

Read as

10%

in column 10(iii) and 11(iii)

group 'C'

Read as

Group 'C'

[F. No. NEC/ADM/25/2013] Dr. S. CHAUDHARI, I/C Director (Admn.)